

न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता के समक्ष,

**प्रेम चंद-अपीलकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य प्रतिवादी**

सी.एम. न. 2003 का 4591 -सी आई और
सी.एम. न. 2003 का 2243 -सी1
आर. एफ. ए. 2002 की संख्या 2883

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- 0.1 नियम 10 और धारा 151- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 धारा 3 (बी) और 50(2)- आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास के लिए हुडा द्वारा भूमि का अधिग्रहण, हुडा द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को भूखंडों का आवंटन-ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं आवंटन पत्र की शर्तों के संदर्भ में बढ़ा हुआ मुआवजा अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ में मुआवजे के समझौते के खिलाफ अपील-क्या ग्रुप हाउसिंग सोसायटी आवश्यक पार्टी हैं और अपील में उचित भागीदार हैं - अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए अजनबी होना और कोई प्रत्यक्ष नहीं होना भूमि अधिग्रहण या भुगतान के लिए सांठगांठ न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं - एक स्थानीय प्राधिकारी या एक आने वाला व्यक्ति जिसे अकेले अधिग्रहण के खर्चों को वहन करना है वह मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होता है और साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

निर्धारित किया गया कि अधिनियम की योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के लिए या किसी कंपनी के लाभ के लिए अधिग्रहण शामिल है। अधिनियम की धारा 50(1) के तहत यह विचार किया गया है कि जहां भूमि का अधिग्रहण किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी फंड की कीमत पर किया जा रहा है, ऐसे अधिग्रहण के लिए किसी भी आकस्मिक शुल्क ऐसे फंड या कंपनी द्वारा चुकाया जाएगा। चूंकि अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) में ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी के फंड द्वारा या उससे भुगतान किया जाना है इसलिए विचार करें कि ऐसी स्थानीय संस्था या कंपनी या कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकती है और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। मुआवजे की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए यह प्रदान किया गया है कि ऐसा कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी जो अकेले ही अधिग्रहण के खर्चों का भुगतान कर सकता है और मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के

लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और न कि अधिग्रहण के लिए वो जो पूरी तरह से अजनबी हो जैसे कि आवेदक। आवेदक न तो मालिक हैं और न ही अधिग्रहण आवेदक सहकारी समिति के लाभ के लिए किया गया है। अधिग्रहण एक स्थानीय प्राधिकरण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लाभ के लिए है, जो हरियाणा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण है। वह प्राधिकारी अकेला है जिसे अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में अधिग्रहण पर होने वाले खर्चों की भरपाई करनी है और मुआवजे की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य जोड़ने का हकदार है।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह माना गया कि आवेदक अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं और भूमि के अधिग्रहण या भुगतान के साथ उनका कोई सीधा संबंध नहीं है क्योंकि वे न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं।

(पैरा 11)

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता बी. पी. सिंगला

प्रतिवादी राज्य की ओर से अशोक अग्रवाल, महाधिवक्ता हरियाणा, श्री एन.एस. भिंडर, जिला अटॉर्नी, हरियाणा के साथ

निर्णय

न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता,

(1) पैरागॉन को-ऑप. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 2000 के सिविल मिस. नंबर 4591-सीएल में आवेदक, और द इंड बैंक स्टाफ को-ऑप ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सिविल मिसेज में आवेदक। 2003 की संख्या 2243-सीआई, ने उक्त आवेदकों को वर्तमान अपील में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

(2) वर्तमान याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकुला द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद इसे "अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 18 के तहत एक संदर्भ में घोषित दिनांक 7 मई, 2002 के फैसले से उत्पन्न हुई है। इस अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी, 1990,

ग्राम कुंड की 1321 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई। जमीन का अधिग्रहण 25 जनवरी की अधिसूचना के जरिए किया गया था। 1991 अधिनियम की धारा 6 के तहत एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत सेक्टर 20, पंचकुला के लिए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए लिया गया था।

(3) आवेदकों ने वर्तमान अपील में इस आधार पर पक्षकार बनने की मांग की है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को भूखंडों के आवंटन के लिए ग्रुप हाउसिंग 90 योजना तैयार की है। आवेदक वे सोसायटी हैं जिन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड आवंटित किए गए हैं और आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार, आवेदक बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, आवेदक मुआवजे की राशि के निर्धारण में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं और इस प्रकार वर्तमान अपील में आवश्यक और उचित पक्ष हैं।

(4) आवेदकों के लिए विद्वान वकील ने **भारत संघ बनाम शेर सिंह और अन्य¹, यूपी आवास एवं विकास परिषद बनाम ज्ञान देवी (मृत) बनाम आई.. रुपये, और अन्य² भारत संघ और अन्य बनाम विशेष तहसीलदार (जेडए) और अन्य³, और नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण)) नेवेली और अन्य⁴** पर यह तर्क देने के लिए पर भरोसा जताया कि आवेदक वह व्यक्ति हैं जो आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि में रुचि रखते हैं। आवेदक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी हैं जिन्हें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड आवंटित किए गए हैं। आवंटन पत्र के संदर्भ में, बढ़े हुए मुआवजे का बोझ आवेदकों पर पड़ेगा और इसलिए आवेदक ही उचित पक्ष हैं। इसका आशय यह था कि आवेदक अधिग्रहण के लाभार्थी हैं और इसलिए ऊपर उल्लिखित निर्णयों के संदर्भ में आवेदक संपत्ति के शीर्षक और भुगतान किए जाने वाले मुआवजे दोनों में रुचि रखते हैं और इसलिए दोनों आवेदन अनुमति के पात्र हैं।

(5) मैं आवेदकों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से सहमत होने में असमर्थ हूँ। अधिनियम की धारा 3(बी) में इच्छुक व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की योजना के

¹(1993) 1 8.सी.सी. 808

²(1995) 2 एस.सी.सी. 328

³(1906) 2 एस.सी.सी. 2

⁴(1995) 1 एस.सी.सी. 221

तहत अधिकारियों को धारा 5ए के साथ-साथ एक नोटिस के संदर्भ में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से आपत्तियों को सुनने का और अधिनियम की धारा 9 और 11 के तहत मुआवजा निर्धारित करने का दायित्व है। आवेदक उस तिथि तक इच्छुक व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि आवेदक अधिग्रहण कार्यवाही से अलग हैं। इसी प्रकार, आवेदक अधिनियम की धारा 15 के तहत संदर्भ मांगने के इच्छुक व्यक्ति नहीं हैं। आवेदकों के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार को स्वीकार न करने का कोई मौका नहीं है। आवेदकों ने अधिनियम की धारा 50(2) की भाषा के आधार पर पार्टि के रूप में शामिल होने का अधिकार प्राप्त करने की मांग की है। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले अधिनियम की धारा 50 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:-

"50. स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी की कीमत पर भूमि का अधिग्रहण:- (1) जहां इस अधिनियम के प्रावधानों को लागत पर भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कोई भी फंड, ऐसे अधिग्रहण के लिए किसी भी आकस्मिक शुल्क को ऐसे फंड या कंपनी से चुकाया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष आयोजित किसी भी कार्यवाही में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी मुआवजे की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से उपस्थित हो सकती है और साक्ष्य पेश कर सकती है:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी धारा 18 के तहत संदर्भ मांगने का हकदार नहीं होगा।

(6) अधिनियम की योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम के लिए या किसी कंपनी के लाभ के लिए अधिग्रहण शामिल है। अधिनियम की धारा 50(1) के तहत, यह विचार किया गया है कि जहां भूमि किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी फंड की कीमत पर अर्जित की जा रही है, ऐसे अधिग्रहण के लिए किसी भी आकस्मिक शुल्क ऐसे फंड या कंपनी द्वारा छूट दी जाएगी क्योंकि शुल्क ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी के फंड से चुकाया जाना है। अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) में विचार किया गया है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या कंपनी कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकती है और मुआवजे की राशि निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए राशि को जोड़ें। यह प्रदान किया गया है कि ऐसा कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या कंपनी अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग करने की हकदार नहीं

होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्राधिकरण या कंपनी जिसे अकेले अधिग्रहण के खर्चों का भुगतान करना है वह उपस्थित हो सकता है और सबूत पेश कर सकता है जो कि मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए और किन्तु वे नहीं जो पूरी तरह से अजनबी है जैसे कि आवेदक। आवेदक न तो मालिक हैं और न ही आवेदकों की सहकारी समिति के लाभ के लिए अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण एक स्थानीय प्राधिकारी के लाभ के लिए है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण है। यह वह प्राधिकरण है जिसे अधिनियम की धारा 50 के संदर्भ में अधिग्रहण के बिना होने वाले खर्चों को चुकाना है और निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य जोड़ना है।

(7) मुआवजे की राशि आवेदकों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित सभी मामलों में इच्छुक व्यक्ति स्थानीय प्राधिकरण निगम या कंपनी हैं जिनके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था और जिन्हें निर्धारण के लिए कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने का मुआवजे देने का आदेश दिया गया है। **शेर सिंह के मामले (सुप्रा)** में, भूमि का अधिग्रहण भारत संघ की इच्छानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रयोजनों के लिए किया गया था। यह माना गया कि मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए भारत संघ एक इच्छुक व्यक्ति है।

(8) **नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रंगास्वामी** और अन्य में⁵, कुछ क्षेत्रों में सीमित जमा के औद्योगिक और वाणिज्यिक दोहन के लिए, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन टैमिटेड, जो भारत सरकार का उद्यम है, उसके लाभ के लिए तमिलनाडु में 8200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की क्योंकि अधिनियम की धारा 20 बी के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया था। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ में निर्धारित किया गया कि लाभार्थी जिसके लाभ में भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, वह भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में पक्षकार के रूप में माने जाने का हकदार नहीं है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण) नेवेली और अन्य, (सुप्रा) में अपील की अनुमति दी थी और यह माना गया था कि अधिनियम की धारा 50(2) स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर के समक्ष या संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। आगे यह

⁵ एआईआर 1990 मैड, 100

माना गया कि अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) के तहत दिया गया अधिकार निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की अवधारणा से उत्पन्न होने वाले सभी आकस्मिक, तार्किक और परिणामी अधिकारों के प्रतिस्थापन या अपमान के अतिरिक्त और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ है। इस प्रकार, यह माना गया कि अपीलकर्ता एक उचित पक्ष है, यदि आवश्यक पक्ष नहीं है। इच्छुक व्यक्ति को अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया को नकारना है।

(9) इसी प्रकार उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के मामले (सुप्रा) में, अधिग्रहण फिर से यू.पी. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 3 के तहत गठित एक बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था:-

“1. एल.ए. अधिनियम की धारा 50(2) एक स्थानीय प्राधिकारी पर निर्भर करता है। जिनके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उन्हें कलेक्टर और संदर्भ न्यायालय के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में उपस्थित होने और मुआवजे की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है।

2. उक्त अधिकार अपने साथ कलेक्टर के साथ-साथ उस संदर्भ न्यायालय द्वारा पर्याप्त नोटिस दिए जाने का अधिकार रखता है जिसके समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही उस तारीख पर लंबित है जिस दिन मुआवजे के निर्धारण का मामला उठाया जाएगा।

3. धारा 50(2) का प्रावधान केवल एक स्थानीय प्राधिकारी को संदर्भ मांगने से रोकता है, लेकिन यह उस स्थानीय प्राधिकारी को वंचित नहीं करता है जो कलेक्टर या संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि के निर्धारण से व्यथित महसूस करता है या अनुच्छेद के तहत उपाय लागू करता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ-साथ एल.ए. अधिनियम के तहत यह उपलब्ध उपचार है।

4. अधिग्रहण की कार्यवाही की सूचना देने में कलेक्टर की विफलता के कारण धारा 50(2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के नष्ट होने की स्थिति में, स्थानीय प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।

5. यहां तक कि जब स्थानीय प्राधिकारी को नोटिस दिया गया हो तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय स्थानीय प्राधिकारी में उन आधारों पर उपलब्ध होगा जिन पर अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।

6. स्थानीय प्राधिकारी हमारे संदर्भ से पहले की कार्यवाही में एक उचित पक्ष है और वह उन कार्यवाही में निष्प्रभावी होने का हकदार है जिसमें वह कलेक्टर द्वारा मुआवजे की राशि के निर्धारण का बचाव कर सकता है और उक्त राशि में वृद्धि का विरोध कर सकता है और इस संबंध में साक्ष्य दे सकता है।

7. संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ाने की स्थिति में यदि सरकार अपील दायर नहीं करती है तो स्थानीय प्राधिकारी न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर पुरस्कार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

8. संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करने वाली भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अपील में, स्थानीय प्राधिकारी को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वह उक्त अपील का नोटिस प्राप्त करने का हकदार है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय में भी अपील की जाएगी।

9. चूंकि जिस कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसे धारा 50(2) के तहत स्थानीय प्राधिकरण के समान अधिकार है और स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में जो भी सहायता है वह कंपनी पर भी लागू होगी।"

(10) उक्त निष्कर्ष का अवलोकन, वास्तव में, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं और आवश्यक किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

(11) **विशेष तहसीलदार (जेडए)** मामले (**सुप्रा**) में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष विभाग के श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह निर्धारित किया गया कि अंतरिक्ष विभाग को संदर्भ अदालत के फैसले से उत्पन्न अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार, संदर्भित सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी को मुआवजे की राशि के निर्धारण तक लंबित कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी है जिनके लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। चूंकि आवेदक अधिग्रहण की कार्यवाही से अनजान हैं और उनके पास कोई भूमि के अधिग्रहण या भुगतान के साथ सीधे सांठगांठ नहीं है इसलिए आवेदक न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं।

(12) आवेदकों के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा कि क्या इच्छुक व्यक्ति अपील दायर करने का हकदार है या नहीं यह मुद्दा 1990 के एलपीए संख्या 31 में इस न्यायालय की

पूर्ण पीठ के समक्ष विचाराधीन है और उक्त मामले में 28 तारीख के आदेश के अनुसार नवंबर, 1990, मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच के पास भेजा गया क्योंकि तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को **इंडो स्विस टाइम लिमिटेड बनाम उमराव⁶**, और **कुलभूषण कुमार और कंपनी, पंजाब राज्य⁷** के रूप में रिपोर्ट किया गया था जिसे पुनर्विचार की आवश्यकता है। जब मामला 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया, तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण) नेवेली और अन्य (सुप्रा) के रूप में सुनाए गए फैसले में उक्त मामले का फैसला किया है जिसमें यह माना गया है कि स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी जिसके लाभ के लिए भूमि अधिग्रहण कि गई है वह एक उचित पार्टी है। हालाँकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1981 पीएलआर 335 और 1983 पी अल आर 768 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णयों को शेर सिंह के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से उलट दिया गया है। इस प्रकार लंबित संदर्भ पर आवेदकों की निर्भरता गलत है।

(13) नतीजतन दोनों आवेदनों को बिना किसी लागत के आदेश से खारिज फरमाया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

⁶ 1981 पी.एल.आर. 335

⁷ 1983 पी.एल.आर. 768

Hardik Sachdeva

Trainee Judicial Officer

Place of Posting: Bhiwani